



पत्रांक: 9174/कु०का०/2026

दिनांक: 17 जुलाई, 2026

सेवा में

वित्त अधिकारी,
परीक्षा नियंत्रक,
समस्त सहायक कुलसचिव।

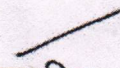
महोदय,

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की कार्यपरिषद की 17वीं बैठक के कार्यवृत्त की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित है कि कृपया कार्यपरिषद के निर्णयों के अनुपालनार्थ आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।


17/07/26
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव-कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सम्बंधित पत्रावली।


कुलसचिव



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar@msdsu.ac.in
Website: www.msdsu.ac.in

दिनांक 20.06.2026 शनिवार को अपराह्न 12:00 बजे महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ परिसर के सभागार में आयोजित कार्य परिषद की 17वीं बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक की उपस्थिति:-

बैठक में सम्मानित सभी सदस्यों द्वारा भौतिक रूप से प्रतिभाग किया गया। उपस्थिति निम्नवत् है-

क्रं.	नाम	पद व सम्बद्धता/पता	कार्य परिषद में दायित्व
1.	प्रो० संजीव कुमार	कुलपति, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़	अध्यक्ष
2.	डॉ० प्रेमचन्द यादव	प्राचार्य, डी०ए०वी० पी०जी० कालेज, आजमगढ़	सदस्य
3.	प्रो० शर्वेश पाण्डेय	प्राचार्य, डी०सी०एस०के० पी०जी० कालेज, मऊ	सदस्य
4.	प्रो० बृजेश कुमार	प्राचार्य, श्री दुर्गा जी पी०जी० कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़	सदस्य
5.	प्रो० जय सिंह	प्राचार्य, राजकीय महिला पी०जी० कालेज, अम्बारी, आजमगढ़	सदस्य
6.	प्रो० ऋषिकेश सिंह	प्राचार्य, श्री कृष्ण गीता राष्ट्रीय पी०जी० कालेज, लालगंज, आजमगढ़	सदस्य
7.	श्री अमृत लाल	कुलसचिव, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़	सचिव
8.	श्री आनन्द कुमार मौर्य	परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़	विशेष आमंत्रित सदस्य

मा० कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव द्वारा समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की गई। कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को बैठक की सूचना (पत्रांक-8905/कु०का०/2026, दिनांक 16.06.2026) व कार्यसूची ई-मेल/व्हाट्सएप तथा फोन के माध्यम से बैठक से पूर्व उपलब्ध करायी गई थी। कुलसचिव द्वारा मदवार कार्यसूची पढ़ी गई जिस पर कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिए गए:-

मद सं० 1- दिनांक 04.10.2025 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सम्पुष्टि किया जाना।

निर्णय- दिनांक 04.10.2025 को सम्पन्न हुई कार्य परिषद की आकस्मिक बैठक के कार्यवृत्त का सम्यकरूपेण अवलोकन करते हुए कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया।

मद सं० 2- वित्त समिति की बैठक दिनांक 03.02.2026 एवं 15.04.2026 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सम्पुष्टि किया जाना।

निर्णय- दिनांक 03.02.2026 को वित्त समिति की 13वीं बैठक एवं 15.04.2026 को संपन्न हुई 14वीं बैठक के कार्यवृत्त का सम्यकरूपेण अवलोकन करते हुए कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया।



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar@msdsu.ac.in

Website: www.msdsu.ac.in

मद सं0 3— दिनांक-29.09.2025 को परीक्षा समिति की 32वीं बैठक, दिनांक 15.11.2025 को संपन्न हुई परीक्षा समिति की 33वीं बैठक तथा दिनांक 18.04.2026 को परीक्षा समिति की 34वीं बैठक के कार्यवृत्तों का अवलोकन कर सम्पुष्टि किया जाना है।

निर्णय— दिनांक-29.09.2025 को परीक्षा समिति की 32वीं बैठक, दिनांक 15.11.2025 को संपन्न हुई परीक्षा समिति की 33वीं बैठक तथा दिनांक 18.04.2026 को परीक्षा समिति की 34वीं बैठक के कार्यवृत्तों का सम्यकरूपेण अवलोकन करते हुए कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया।

मद सं0 4— प्रवेश समिति की बैठक दिनांक-24.03.2026 एवं 02.04.2026 के कार्यवृत्त का अवलोकन कर सम्पुष्टि किया जाना।

निर्णय— प्रवेश समिति की बैठक दिनांक-24.03.2026 एवं 02.04.2026 के कार्यवृत्त सम्यकरूपेण का अवलोकन करते हुए कार्य परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया। विश्वविद्यालय परिसर एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु दिनांक-07.07.2026 तक तिथि विस्तरण से अवगत होते हुए छात्रहित में यथावश्यकता आगे भी प्रवेश तिथियाँ विस्तारित करने पर सहमति प्रदान की गई।

मद सं0 5— विश्वविद्यालय परिसर में अभियांत्रिकी संकाय खोले जाने और अभियांत्रिकी एवं विधि संकाय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों (संविदा) के सृजन, विज्ञापन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया पर विचार।

निर्णय— कार्यपरिषद द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में अभियांत्रिकी संकाय खोले जाने की सहमति प्रदान की गई तथा अभियांत्रिकी एवं विधि संकाय में शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों (संविदा) के सृजन हेतु गठित समिति की रिपोर्ट का अनुमोदन प्रदान करते हुए विज्ञापन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 6— सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक-15.08.2025, 30.04.2026, 10.06.2026 की रिपोर्ट/संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-758/सत्तर-6-2025, दिनांक 26 सितम्बर 2025 के अनुपालन में वि0वि0 द्वारा निर्गत पत्रांक-महा.सु.वि. वि/सम्ब0/2025/2666 दिनांक-13.11.2025 की सम्पुष्टि किया जाना।

निर्णय— सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक-15.08.2025, 30.04.2026, 10.06.2026 की रिपोर्ट/संस्तुति एवं उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-758/सत्तर-6-2025, दिनांक 26 सितम्बर 2025 के अनुपालन में वि0वि0 द्वारा निर्गत पत्रांक-महा.सु.वि.वि/सम्ब0/2025/2666 दिनांक-13.11.2025 का सम्यकरूपेण अवलोकन करते हुए कार्य परिषद द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टीकरण किया गया।

मा0 कुलपति जी द्वारा आदेशित किया गया कि निरीक्षण मण्डल के गठन संबंधी पत्रों में महाविद्यालय में पूर्व से संचालित पाठ्यक्रमों/विषयों की सम्बद्धता का विवरण भी अंकित किया जाय। साथ ही भविष्य में जब तक समस्त मानक पूर्ण न हो जायें तब तक स्थायी सम्बद्धता/मान्यता प्रदान न की जाये।





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar@msdsu.ac.in
Website: www.msdsu.ac.in

मद सं0 7- पी-एच.डी सत्र 2025-26 से शोध के शुल्क संरचना के संबंध में वित्त समिति की बैठक दिनांक-03.02.2026 के बिंदु संख्या 18 पर लिए गये निर्णय के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट/आख्या पर विचार।

निर्णय- कार्य परिषद द्वारा पी-एच.डी सत्र 2025-26 से शोध के शुल्क संरचना के संबंध में वित्त समिति की बैठक दिनांक-03.02.2026 के बिंदु संख्या 18 पर लिए गये निर्णय के क्रम में गठित समिति की रिपोर्ट/आख्या का सम्यकरूपेण अवलोकन करते हुए सर्वसम्मति से उक्त शुल्क संरचना लागू किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं0 8- विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के नामों का प्रस्ताव।

निर्णय- कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यों ने विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के लिये नामों को मा0 कुलपति जी द्वारा प्रस्तावित किये जाने की अपेक्षा की गई।

मद सं0 9- विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में टेंट व भोजन की व्यवस्था के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट पर विचार।

निर्णय- विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में टेंट व भोजन की व्यवस्था के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए कार्य परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं0 10- विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में प्रतिभागियों के लिए परिधान व्यवस्था का निर्धारण।

निर्णय- विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में प्रतिभागियों के लिए परिधान व्यवस्था पर कार्य परिषद द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की गयी:-

(क) पुरुष/छात्रों हेतु- सफेद कुर्ता एवं धोती/पैजामा।

(ख) महिला/छात्रा हेतु- सफेद साड़ी (रेड बार्डर सहित)/ऑफ व्हाइट साड़ी।

मद सं0 11- वर्तमान में कार्यरत अतिथि प्रवक्ता जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक है, को सत्र 2026-27 अथवा नियमित नियुक्ति तक विस्तार एवं रिक्त पदों के सापेक्ष नियुक्ति किये जाने पर विचार।

निर्णय- कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यगण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त विश्वविद्यालय परिसर में वर्तमान में कार्यरत अतिथि प्रवक्ता जिनकी रिपोर्ट संतोषजनक है, को सत्र 2026-27 अथवा नियमित नियुक्ति तक विस्तार एवं रिक्त पदों के सापेक्ष अतिथि प्रवक्ता नियुक्ति किये जाने की प्रक्रिया पर सर्वसम्मति से सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई।

मद सं0 12- छात्र कल्याण, शोध, शैक्षणिक, ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट के सुचारुपूर्वक संचालन हेतु समन्यवक के 04 पद (अवकाश प्राप्त शिक्षकों या अन्य विशेषज्ञता के व्यक्तियों, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक) को स्वीकृत करने पर विचार।

निर्णय- कार्यपरिषद द्वारा छात्र कल्याण, शोध, शैक्षणिक तथा ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेंट के सुचारुपूर्वक संचालन हेतु समन्यवक के 04 पदों (अवकाश प्राप्त शिक्षकों या अन्य विशेषज्ञता के व्यक्तियों, अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक) पर नियुक्ति किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी जिनका वेतन निर्धारण वित्त समिति से करा लिया जाये।



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar@msdsu.ac.in
Website: www.msdsu.ac.in

मद सं0 13—शिक्षक नियुक्ति के संबंध में पूर्व से जारी विज्ञापन की समयावधि अधिक होने के कारण पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने पर विचार।

निर्णय— कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यगण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शिक्षक नियुक्ति के संबंध में पूर्व में जारी विज्ञापन की समयावधि अधिक होने के कारण पूर्व निर्गत विज्ञापन का परीक्षण व यथावश्यक संशोधन किये जाने, पुनः आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने एवं पूर्व आवेदित अभ्यर्थियों को अपने आवेदन को अद्यतन/अपडेट किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 14—राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु निर्गत आदेश संख्या ई-4229/जी0एस0 दिनांक-02, जुलाई, 2021 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय— कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यों द्वारा राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु निर्गत आदेश संख्या ई-4229/जी0एस0 दिनांक-02, जुलाई, 2021 को लागू किये जाने हेतु सर्वसम्मति से अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 15—मां शकुन्तला महिला महाविद्यालय, अमारी अमरहट, मऊ एवं मां शकुन्तला इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मतलूबपुर, आजमगढ़ की विश्वविद्यालय द्वारा गठित जाँच समिति के समन्यवक एवं सदस्यों द्वारा दिनांक 03.11.2025 को प्रेषित आख्या का अवलोकन एवं अग्रिम कार्यवाही करने पर विचार।

निर्णय— कार्यपरिषद द्वारा जांच समिति की आख्या के सम्यक् अवलोकनोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिए गये:-

(क) मां शकुन्तला महिला महाविद्यालय, अमारी अमरहट, मऊ।

- (1) उक्त महाविद्यालय की जांच आख्या में अंकित जो अभिलेख अप्राप्त हैं, उन्हें प्राप्त कर जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा जाँच समिति द्वारा अभिलेखों एवं तथ्यों के परीक्षणोपरान्त जाँच आख्या पुनः उपलब्ध करायी जाय।
- (2) जाँच समिति की जाँच आख्या पर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

(ख) मां शकुन्तला इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, मतलूबपुर, आजमगढ़

- (1) उक्त महाविद्यालय की जांच आख्या में कुल 10 एफडीआर में 06 एफडीआर फर्जी पाये गये हैं। फर्जी एफडीआर लगाये जाने के कारण महाविद्यालय के विरुद्ध प्रति एफडीआर रु0 50000.00 अर्थात् कुल रु0 3,00,000.00 (रुपये तीन लाख मात्र) अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त 06 फर्जी एफडीआर के स्थान पर उतनी धनराशि के 06 नए एफडीआर जमा कराया जाय। फर्जी एफडीआर लगाये जाने के दण्डस्वरूप 03 पाठ्यक्रमों स्नातकोत्तर-गणित, भौतिक एवं उर्दू में सत्र 2026-27 में प्रवेश प्रतिबंधित रखा जाए।
- (2) भविष्य में यदि किसी महाविद्यालय का एफडीआर फर्जी पाया जाता है तो प्रति फर्जी एफडीआर रु0 50,000.00 (रुपये पचास हजार मात्र) अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाये तथा उतनी ही धनराशि का नया एफडीआर जमा कराया जाये।
- (3) उक्त महाविद्यालय की जांच आख्या में अंकित भूमि संबंधी जो अभिलेख अप्राप्त हैं, उन्हें प्राप्त कर जाँच समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा जाँच समिति द्वारा अभिलेखों एवं तथ्यों के परीक्षणोपरान्त जाँच आख्या पुनः उपलब्ध करायी जाय। भूमि की जांच उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या- 585 मु0मं0/सत्तर-2-/2005-2 (166)/2002 दिनांक 21/10/2005





महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar@msdsu.ac.in

Website: www.msdsu.ac.in

एवं जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर एक बार पुनः की जाये तथा उसके पश्चात जांच रिपोर्ट/आख्या प्रस्तुत की जाये।

- (4) जाँच समिति की जाँच आख्या पर निर्णय लिये जाने हेतु मा० कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

मद सं० 16—महाविद्यालय (1.राम लखन महाविद्यालय, जामडीह, मऊ, 2.मां इसमती देवी महिला महाविद्यालय, बनकट, आजमगढ़ 3.शारदा शांति शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, बनकटा, बसगित, आजमगढ़ 4.शेखर सोशल महिला महाविद्यालय एण्ड एजुकेशनल फाउन्डेशन, सम्मोपुर, गोपालपुर, आजमगढ़) द्वारा स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर शिक्षण सत्र 2022-24 में प्रवेश के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के पत्रांक-3476/कु०का०/2024 दिनांक-06.05.2024 द्वारा नामित जाँच समिति के जाँचोपरान्त प्राप्त जाँच आख्या पर प्रवेश समिति की बैठक दिनांक-16.08.2024 एवं मा० कार्यपरिषद की बैठक दिनांक-29.08.2024 में लिए गये निर्णय के अनुसार बी०एड० पाठ्यक्रम में अनाधिकृत प्रवेशित छात्रों का शुल्क विश्वविद्यालय निधि में जमा नहीं करने पर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने पर विचार।

निर्णय— कार्यपरिषद की बैठक दिनांक-29.08.2024 में लिए गये निर्णयानुसार उक्त महाविद्यालयों द्वारा अनधिकृत रूप से प्रवेशित छात्र-छात्राओं का संपूर्ण शुल्क विश्वविद्यालय निधि में जमा नहीं किया जा रहा है जो विश्वविद्यालय के निर्देशों का घोर उलंघन है।

अतः कार्यपरिषद द्वारा संगत अभिलेखों का अवलोकन करते हुए तथ्यों के आलोक निम्नवत निर्णय लिया गया:-

- (1) राम लखन महाविद्यालय, जामडीह, मऊ एवं मां इसमती देवी महिला महाविद्यालय, बनकट, आजमगढ़ के सत्र 2026-27 के समस्त पाठ्यक्रमों का प्रवेश प्रतिबंधित रखा जाय।
- (2) शारदा शांति शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, बनकटा, बसगित, आजमगढ़ एवं शेखर सोशल महिला महाविद्यालय एण्ड एजुकेशनल फाउन्डेशन, सम्मोपुर, गोपालपुर, आजमगढ़ के सत्र 2026-27 के बी०एड० पाठ्यक्रमों का प्रवेश प्रतिबंधित रखा जाय।
- (3) उक्त महाविद्यालयों द्वारा शुल्क जमा किये जाने के पश्चात प्रवेश के संबंध में निर्णय हेतु मा० कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

मद सं० 17—महाविद्यालयों के अनुरोध पर स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवक्ता चयन हेतु चयन समिति के गठन हेतु विश्वविद्यालय की समिति की रिपोर्ट/आख्या पर विचार।

निर्णय— कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यगण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में प्रवक्ता चयन हेतु चयन समिति के गठन हेतु विश्वविद्यालय की समिति की रिपोर्ट/आख्या पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं० 18—उ०प्र० शासन(उच्च शिक्षा अनुभाग-1) के पत्र संख्या-2001/सत्तर-1-2025, दिनांक-19.11.2025 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किये जाने पर विचार।

निर्णय— कार्यपरिषद के सम्मानित सदस्यगण द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ०प्र० शासन(उच्च शिक्षा अनुभाग-1) के पत्र संख्या-2001/सत्तर-1-2025, दिनांक-19.11.2025 द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में तीन प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नियुक्त किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही समिति की संस्तुति की भी पुष्टि की गयी।



महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar@msdsu.ac.in

Website: www.msdsu.ac.in

मा0 कुलपति/अध्यक्ष जी की अनुमति से निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत किये गये:-

मद संख्या (1)- राज्यपाल सचिवालय उ0प्र0 से प्राप्त निर्देश के क्रम में मोबाइल प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्रियान्वित किये जाने के लिए एक बस को क्रय किये जाने, मेडिकल/पैरामेडिकल की नियुक्ति किये जाने एवं आवश्यक मेडिकल उपकरण व दवाएँ इत्यादि क्रय किये जाने पर विचार।

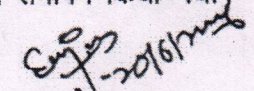
निर्णय- मा0 कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 से प्राप्त निर्देश के क्रम में मोबाइल प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्रियान्वित किये जाने के लिए एक बस को क्रय किये जाने, मोबाइल प्राइमरी हेल्थ सेंटर हेतु यथावश्यकता मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति किये जाने एवं आवश्यक मेडिकल उपकरण व दवाएँ इत्यादि को क्रय किये जाने अथवा सर्विस आधार पर लिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या (2)- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु C3i Hub, IIT कानपुर के सहयोग से Vocational Course के अंतर्गत Cyber Security एवं AI & ML कोर्स संचालित किये जाने पर विचार।

निर्णय- मा0 कार्यपरिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 से आच्छादित स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु C3i Hub, IIT कानपुर के सहयोग से Vocational Course के अंतर्गत Cyber Security एवं AI & ML कोर्स संचालित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त पाठ्यक्रम को लागू किये जाने की रूपरेखा एवं रिपोर्ट तैयार करने के लिए समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्त में मा0 कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं समस्त कार्य परिषद के सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक का समापन किया गया।


28/6/26
(अमृत लाल)
कुलसचिव/सचिव-कार्य परिषद


(प्रो0 संजीव कुमार)
मा0 कुलपति/अध्यक्ष-कार्य परिषद